

कोविड-19 वैश्विक महामारी, मानव और मानवाधिकार

Rajat Saini¹

सारांश (Abstract) : कोविड-19 वैश्विक महामारी न केवल एक स्वास्थ्य संकट थी, बल्कि यह मानवता और मानवाधिकारों की व्यापक एवम् कठिन आजमाइश भी बनी। इस शोध में वर्ष 2020 से 2023 के मध्य “डॉ. भीमराव अंबेडकर युवा जागृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी” द्वारा किए गए जमीनी प्रयासों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि कैसे एक स्वयंसेवी संस्था (NGO) ने नागरिक अधिकारों की रक्षा, जन-जागरूकता और राहत कार्यों में प्रभावशाली भूमिका निभाई। लेखक ने इस संस्था में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य की शुरुआत की और आगे चलकर दो वर्षों तक **जिला समन्वयक** की भूमिका का निर्वहन किया। फील्ड डायरी, 55+ साक्षात्कार, व्हाट्सएप क्लस्टर डेटा और सरकारी दस्तावेजों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि लॉकडाउन, सूचना की अस्पष्टता, फेक न्यूज़, डिजिटल असमानता और वैक्सीनेशन झिझक ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित किया। इस अध्ययन के केंद्र में केवल आँकड़े नहीं, बल्कि वे चेहरे, कहानियाँ और संघर्ष हैं जो आँकड़ों के पीछे अक्सर छिप जाते हैं। महामारी ने यह सिखाया कि “अधिकार केवल संविधान की पंक्तियों में नहीं, बल्कि ज़मीन पर किए गए छोटे-छोटे मानवीय प्रयासों में भी जीवित रहते हैं।”

मुख्य शब्द (Key words): कोविड-19 महामारी, मानवाधिकार, नागरिक समाज, स्वयंसेवी संस्था (NGO), सामाजिक असमानता, डिजिटल डिवाइड, वैक्सीनेशन झिझक, सामुदायिक सहयोग

1. परिचय

‘कोविड’—इस शब्द को हम कितना ही भूलना चाहें पर वह काला दौर जिसने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया, आज भी वो समय हमारी चेतना को डराता है। हमारे अचेतन मन में यह एक भयावह अनुभवों की श्रृंखला के रूप में इतना स्थिर हो गया है कि, हममें से कई लोग वर्तमान में भी उन दिनों की मानसिक और सामाजिक पीड़ा से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। कोविड-19 महामारी केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं थी अपितु यह एक मानवीय संकट थी। इसने हमारी करुणा, दया, कर्तव्यनिष्ठता, समन्वयता, सामंजस्यता, बन्धुता एवं हमारी सहनशीलता और हमारे सामाजिक ढाँचे की असल मायनों में परीक्षा ली।

इसने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस बुरे दौर में नकारात्मकता का अनुभव न किया हो। लेकिन इसका सबसे गंभीर प्रभाव उन लोगों पर पड़ा जो पहले से ही हाशिए पर थे- जिनमें दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशीलता के दायरे में आते हैं।

यह शोध-पत्र मेरे द्वारा वर्ष 2020 से 2023 तक “डॉ. भीमराव अंबेडकर युवा जागृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी, शुक्रताल” नामक स्वयंसेवी संस्था के साथ कार्य करते हुए एकत्र किए गए अनुभवों पर आधारित है। इस दौरान मैंने नज़दीक से देखा कि कैसे आम जनमानस कभी राशन के लिए, कभी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो कभी सिर्फ सामाजिक सम्मान और संवेदनशीलता के लिए अर्थात् जीवन के हर स्तर पर जूझ रहे थे।

¹ Assistant Professor, Department of Political Science, Hari Institute of Technology, Randevi, Nakud, Affiliated to Maa Shakumbhari University, Saharanpur, Uttar Pradesh

हमारे NGO ने जागरूकता अभियान, राहत वितरण और दिन-प्रतिदिन समन्वय के ज़रिए समाज के भीतर जमीनी हकीकतों को समझा। इस दौरान यह भी देखने को मिला कि कैसे बुनियादी अधिकारों का हनन हुआ, सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गईं और संविधान में निहित मूल्यों का किस प्रकार समय की कसौटी ने कई बार इम्तिहान लिया। यही नहीं, यह भी स्पष्ट हुआ कि कैसे राज्य की विफलताओं को नागरिक समाज ने आंशिक रूप से संभाला, क्योंकि-

“कभी-कभी, छोटे-छोटे प्रयास भी किसी की जीवन की बागडोर को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।” इसी कड़ी में हजारों छोटे-बड़े स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय है, जिसके फलस्वरूप मानवता की सुरक्षा सुनिश्चिकरण में बेजोड़ सहायता मिली। यह शोध केवल आँकड़ों या नीतिगत खामियों की चर्चा तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह उन असली चेहरों, कहानियों और भावनाओं को केंद्र में लाता है, जो अक्सर सरकारी रिपोर्टों में कहीं छूट से जाते हैं। इस पूरे अनुभव ने मुझे एक बात गहराई से सिखाई—“अंततः इस ग्रह पर **जीवन ही सबसे मूल्यवान है।**”

2. पद्धति (Methodology- कार्यविधि)

यह शोधपत्र केवल संख्याओं पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ यह एक गुणात्मक (Qualitative) अध्ययन है अर्थात् यह उस भयावह वैश्विक महामारी में जमीनी स्तर पर निर्वहन किए गए दायित्वों, अनुभवों एवम् प्रमाणिक आँकड़ों पर आधारित है। शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कोविड-19 के दौरान नागरिकों के अधिकारों की स्थिति क्या रही, और कैसे एक सामाजिक संस्था ने नागरिक समाज और आम नागरिकों के सहयोग से संकट की उस घड़ी में राहत-बचाव व समर्थन-सहयोग के गठजोड़ से मानवता की जीवंत यात्रा की सकारात्मकता में अपना योगदान दिया। शोध में निम्नलिखित स्रोतों और विधियों का उपयोग किया गया-

3.1. फ़िल्ड डायरी (Field Diaries): जिसमें मार्च 2020 से फरवरी 2022 के बीच NGO के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन की गतिविधियों, समस्याओं और अनुभवों का नियमित संकलन शामिल।

3.2. लाभार्थियों से साक्षात्कार (Interviews with Beneficiaries): कुल 55+ साक्षात्कार लिए गए, [कुछ प्रत्यक्ष (in-person) और कुछ दूरभाष (telephonic)] साक्षात्कार में प्रवासी श्रमिक, घरेलू महिलाएं, बुजुर्ग, विकलांग, अनाथ बच्चे और स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारी शामिल थे।

3.3. व्हाट्सएप क्लस्टर और समन्वय डेटा: हमारे NGO ने स्थानीय स्तर पर व्हाट्सएप समूहों का निर्माण किया था, जिनके माध्यम से ज़रूरतमंदों और प्रशासन के बीच तत्काल संवाद संभव हो सका। इन ग्रुप्स से सैकड़ों मैसेज, फोटो, लोकेशन शेयरिंग, मेडिकल ज़रूरतें और मदद के अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिन्हें एकत्रित कर डेटा के रूप में उपयोग किया गया।

3.4. सरकारी परिपत्र और स्वास्थ्य बुलेटिन: भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देश, SOPs और लॉकडाउन संबंधी आदेशों का विश्लेषण किया गया। इससे यह समझने में मदद मिली कि नीतिगत स्तर पर क्या प्रयास किए गए और उनका जमीनी असर कैसा रहा।

3.5. मीडिया रिपोर्ट्स और रियल-टाइम फीडबैक: प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी रिपोर्ट्स और स्वतंत्र पोर्टलों से तथ्यों का संकलन किया एवं NGO द्वारा तैयार किए गए *रियल टाइम फीडबैक फॉर्म* ने लाभार्थियों की तत्काल ज़रूरतों और संतुष्टि स्तर को समझने में सहायता प्रदान की।

3.6. ग्राउंडेड थ्योरी (Grounded Theory) का उपयोग: सभी डाटा स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करते समय *Grounded Theory Approach* को अपनाया गया, जिससे मौजूदा परिस्थितियों से उभरते पैटर्न और सामाजिक व्यवहार को समझा जा सके। इस दृष्टिकोण से विषयवस्तु का तटस्थ और निष्पक्ष विश्लेषण संभव हुआ।

4. प्रमुख निष्कर्ष और अनुभव (Findings & Observations)

महामारी के दौरान 'डॉ. भीमराव अंबेडकर युवा जागृति सोशल वेलफेयर सोसायटी' के क्षेत्रीय कार्यों के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष और अनुभव सामने आए-

4.1. सामाजिक असमानता का गहराता प्रभाव : महामारी के समय गरीब, विधवा, पिछड़े, अति-पिछड़े, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिहाड़ी मजदूर और स्त्री-प्रधान परिवारों पर सबसे अधिक असर पड़ा। इन वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं, राशन व जानकारी पहुँचाने में सरकारी व्यवस्थाएं अक्सर विफल रही, जिसे NGO कार्यकर्ताओं ने आंशिक रूप से भरने का प्रयास किया।

4.2. सूचना का अभाव और अफवाहों की भूमिका: ग्रामीण व झुग्गी क्षेत्रों में प्रामाणिक जानकारी की भारी कमी देखी गई। सोशल मीडिया और मौखिक प्रचार के माध्यम से कई झूठी अफवाहें फैलीं, जैसे-वैक्सीन से मौत हो जाती है, COVID केवल अमीरों को होता है, वैक्सीन से नपुंसकता आ जाती है। NGO ने जन-जागरूकता अभियानों द्वारा इन अफवाहों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस कारण कई बार NGO टीम के ऊपर फेक न्यूज़ प्रेरित असामाजिक तत्वों के द्वारा शारीरिक हमले के प्रयास भी हुए।

4.3. डिजिटल डिवाइड की हकीकत: डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शिक्षा, जानकारी, और सरकारी सेवाओं तक पहुँच डिजिटली रूपांतरण की प्रक्रिया में है। यह मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके तहत e-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जा रहा है।

हालांकि कोरोनाकाल में ज्यादातर लाभार्थी परिवारों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता नहीं थी, इससे बच्चों की पढ़ाई और सूचना तक पहुँच बाधित हुई और फेक न्यूज़ के प्रसार के लिए भी उपयुक्त दशायें निर्मित हुईं।

4.4. सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत: भले ही सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन, जनधन खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) और वैक्सीनेशन अभियान की घोषणा की गई, लेकिन लाभार्थियों तक वास्तविक लाभ पहुँचने में अनेक समस्याएँ आईं—जैसे पहचान पत्र न होना, आधार लिंकिंग की समस्या, स्मार्ट फोन न होना या पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार, गाँव में गुटबाजी के कारण BPL कार्ड/राशन कार्ड और मनरेगा लिस्ट से नाम कटान, CoWin पोर्टल पर वैक्सीनेशन स्लोट बुकिंग में समस्या। हालांकि NGO कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाने, वैक्सीन स्लोट बुकिंग, साथ ही साथ विभिन्न जानकारीयों देकर जागरूकता और लिंकिंग में सहायता प्रदान की।

4.5. सामुदायिक सहयोग और जमीनी नेतृत्व: हालात चाहे जैसे भी रहे, लेकिन स्थानीय युवा वॉलंटियर्स, महिला समूहों और स्वयंसेवकों ने अभूतपूर्व सहयोग किया। कई बार NGO के पास संसाधन नहीं थे, फिर भी आपसी विश्वास और जमीनी नेतृत्व के दम पर राहत कार्य जारी रहे।

4.6. वैक्सीनेशन को लेकर झिझक : शुरुआती महीनों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी झिझक देखी गई—विशेषकर बुजुर्गों और ग्रामीण महिलाओं में। NGO के सदस्यों द्वारा लोगों को घर-घर जाकर समझाना, मोहल्ले दर मोहल्ले जाकर सामूहिक संगोष्ठियाँ आयोजित करना, भाषा

के स्थानीय डायलेक्ट में प्रचार करना और स्वस्थ हुए लोगों की कहानियाँ सुनाना एवं देश के नामचीन हस्तियों के वैक्सीन लगवाते फोटोज दिखाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सकारात्मकता से ओत-प्रोत वीडियोज—इस झिझक को तोड़ने में कारगर रहे।

4.7. नागरिक समाज और राज्य के बीच संवाद: महामारी ने दिखाया कि एक सक्रिय और संवेदनशील नागरिक समाज एवं आम साधारण नागरिक, सरकार की नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में कितना अहम हो सकता है।

5. नागरिक अधिकारों पर प्रभाव

COVID-19 महामारी और उससे जुड़ी सरकारी नीतियों का नागरिकों के मूल अधिकारों पर या यूँ कहें मानवाधिकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा, हमारे NGO के फील्ड अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया जा सकता है-

5.1. स्वास्थ्य का अधिकार: हालाँकि भारत में स्वास्थ्य को स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत इसे न्यायपालिका द्वारा संरक्षित किया गया है। महामारी के दौरान -

- अस्पतालों की भारी कमी, ऑक्सीजन और बेड की किल्लत ने स्वास्थ्य के अधिकार को अस्वीकार्य रूप से प्रभावित किया।
- गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी देखी गई।
- NGO को कई बार मरीजों को सरकारी अस्पतालों तक पहुँचाने, दवाइयाँ उपलब्ध कराने और कोरोना टेस्टिंग के लिए संघर्ष करना पड़ा।

5.2. सूचना का अधिकार (RTI) और पारदर्शिता: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत के आम नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

- महामारी के समय सरकारी सूचनाओं की अस्पष्टता, तेजी से बदलती गाइडलाइनों और पारदर्शिता की कमी ने लोगों में भ्रम और अविश्वास को बढ़ाया।
- NGO ने सूचना का स्रोत बनकर, सरकारी आदेशों, कर्फ्यू समय, वैक्सीनेशन ड्राइव आदि की विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का कार्य किया।

5.3. शिक्षा का अधिकार: RTE, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009; भारत में एक मौलिक अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

- ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला, लेकिन डिजिटल डिवाइड के कारण हाशिए पर खड़े बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई।
- NGO को बच्चों को पढ़ाने के वैकल्पिक प्रयास (जैसे-बस्तियों में खुले में शिक्षण, वॉट्सऐप-ऑडियो क्लासेस) करने पड़े।
- शिक्षकों को फ्री क्लास देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

5.4.आजीविका का अधिकार और सम्मानजनक जीवन: लॉकडाउन के दौरान लाखों दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हुए। कई लोगों को भूख, बेघर होने और पलायन का सामना करना पड़ा। NGO द्वारा *राशन किट, पका भोजन और मनरेगा जॉब कार्ड* अपडेट कराने के प्रयास इस अधिकार की पुनर्स्थापना की दिशा में थे।

5.5.गोपनीयता और ट्रेकिंग एप्लिकेशन (Right to Privacy): *आरोग्य सेतु* जैसे ट्रेकिंग ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी डेटा एकत्र किया गया, कई बार *डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर चिंताएँ* उठीं। सूचना का दुरुपयोग न हो, इसके लिए *जन-जागरूकता और निगरानी तंत्र की आवश्यकता* महसूस हुई।

5.6.अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार: संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार, दोनों को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है। **अनुच्छेद 19(1)(A); भाषण और अभिव्यक्ति** की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो नागरिकों को अपने विचारों और विश्वासों को किसी भी माध्यम से व्यक्त करने की अनुमति देता है। हालांकि, यह अधिकार पूर्णतया निरपेक्ष नहीं है और **अनुच्छेद 19(2)** के तहत कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या मानहानि।

- महामारी के दौरान **सरकार की नीतियों की आलोचना करने वालों** को कई बार सोशल मीडिया पर बुली या कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई।
- NGO ने समुदायों को इस बात की समझ दी कि *अधिकारों की रक्षा के लिए प्रश्न करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है।*

6.निष्कर्ष और सुझाव

6.1.निष्कर्ष (Conclusion):

कोविड-19 महामारी केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं था, बल्कि यह नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की असली परीक्षा बनकर सामने आया। इस आपदा ने समाज के कमजोर तबकों—विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, महिलाओं, बच्चों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सबसे अधिक प्रभावित किया। राज्य तंत्र की सीमाएं स्पष्ट हो गईं, लेकिन साथ ही यह भी देखा गया कि कैसे स्थानीय समुदाय, नागरिक संगठन और स्वयंसेवक इस संकट की घड़ी में आशा की किरण बनकर उभरे।

NGO के साथ मेरे अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि महामारी के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार—जैसे कि जीवन, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; गंभीर रूप से प्रभावित हुए। लेकिन जहां सरकारें हिचक रही थीं, वहीं जमीनी स्तर के प्रयासों ने राहत, जागरूकता और संवेदनशीलता की मिसाल कायम की।

6.2.सुझाव (Suggestions):

6.2.1.आपदा प्रबंधन में मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण: भविष्य की किसी भी आपदा में नीति निर्माण इस सिद्धांत पर आधारित हो कि नागरिक अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है।

6.2.2.NGO की भूमिका को संस्थागत मान्यता: गैर-सरकारी संगठनों के योगदान को केवल सहायक के रूप में नहीं, बल्कि *नीति भागीदार* के रूप में देखा जाना चाहिए एवं उन्हें वित्तीय-प्रशासनिक सहयोग दिया जाए।

6.2.3. सामुदायिक नेटवर्किंग को बढ़ावा: स्थानीय स्तर पर सामूहिकता और सहयोग की भावना को बढ़ाया जाए, जिससे आपदा के समय समाज आत्मनिर्भर रूप से प्रतिक्रिया दे सके।

6.2.4. तकनीकी और सूचना की पारदर्शिता: सरकारी घोषणाओं, योजनाओं और सहायता वितरण में पारदर्शिता और तकनीकी सुलभता जरूरी है, ताकि गलतफहमियां न हों और लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचे।

6.2.5. मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता: महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक गहरा संकट खड़ा किया। स्कूलों, संस्थानों और समुदायों में इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए।

6.2.6. प्रवासी मजदूरों के लिए सुरक्षा नीति: प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस, पोर्टेबिलिटी वाली सामाजिक योजनाएं और न्यूनतम सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए।

6.2.7. फेक न्यूज़ पर अंकुश : जिस प्रकार हाल ही में ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान फेक न्यूज़ की समस्या को गंभीरता से निष्प्रभावी किया गया; ठीक उसी प्रकार लगातार इस संबंध में निरंतर प्रयास समय की मांग है, क्योंकि *कोरोना काल* में भी फेक न्यूज़ ने *जबरदस्त भ्रामकता* का प्रचार किया था।

7. समापन (Final Note)

इस शोध का उद्देश्य केवल अधिकारों की क्षति का दस्तावेज़ बनाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि कैसे संकट के समय में भी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा संभव है; बशर्ते नागरिक, समाज और राज्य एकजुट होकर कार्य करें। COVID महामारी केवल स्वास्थ्य या व्यवस्था की नहीं, बल्कि **हमारी सामूहिक संवेदना, सामाजिक चेतना और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता** की एक परीक्षा थी।

8. आभार

मैं 'डॉ. भीमराव अंबेडकर युवा जागृति सोशल वेलफेयर सोसाइटी' का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिसने मुझे महामारी के समय वास्तविक अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया। मैं उन सभी फील्ड वॉलंटियर्स, लाभार्थियों, स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक सहयोगियों का भी आभारी हूँ—जिनकी कहानियों और संघर्षों ने इस शोध को एक जीवंत रूप दिया। यह शोध व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि एक सामूहिक संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है, जिसमें सभी सहयोगियों की छाया समाहित है।

सन्दर्भ सूची :

1. Palleti, A., et al. (2024). *Civil Society Response to Pandemic Crisis: A Grassroots Perspective* Indian Journal of Social Work, Vol.85, No.2, pp. 112–135.
2. Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India. (2020–2022). *COVID-19 Guidelines & Bulletins*.
3. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2020) *COVID-19 and Human Rights: We are all in this together*.

4. Dr. Bheem Rao Ambedkar Yuva Jagriti Social Welfare Society. (2020–2022). *Field Diaries & Community Feedback Reports*. Internal NGO Documents.
5. Press Information Bureau, Govt. of India. (2020–2021). COVID-19 राहत उपायों पर प्रेस विज्ञप्तियाँ
6. (WHO). (2020). *Statement on the Second Meeting of IHR Emergency Committee regarding 2019-nCoV*.
7. National Human Rights Commission, India. (2021). *Advisory on Human Rights Concerns during COVID-19*.
8. NITI Aayog. (2021). *Building Resilient Communities: Role of Civil Society during the Pandemic*.
9. Anand,P.(2021). *How NGOs have silently helped Indians combat the COVID-19 pandemic*. The News Minute, 5 Oct 2021. PMC+6India Foundation+6India Blooms+6The News Minute+1India Blooms+1
10. Indian Social Institute/ICMC. (2020). *India's Coronavirus Lockdown Jeopardizes Migrant Workers' Lives*. Thomson Reuters Foundation News+4ICMC+4The New Humanitarian+4
11. Down-to-earth. (2020). *Celebrating the role of Indian NGOs in combating the COVID-19 pandemic*. Down To Earth
12. Thomson Reuters Foundation. (2020). *India seeks to count migrant workers struggling for lockdown aid*. PMC+15Thomson Reuters Foundation News+15Down To Earth+15
13. Civil society groups in India filled government gaps by distributing oxygen and essential supplies during COVID-19 Down To Earth+4TIME+4The Fund for Global Human Rights+4
14. Pandemic reshaped India's economy and exposed vulnerabilities of migrant workers and informal sector indianexpress.com+4TIME+4The Times of India+4
15. Time Magazine– *Civil Society Groups Fill the Void as the Government Fails to Confront COVID-19*
<https://time.com/6047859/india-covid-19-civil-society-groups/>



16. The New Yorker— *India's Crisis Marks a New Phase in the Pandemic*
<https://www.newyorker.com/science/medical-dispatch/indias-crisis-marks-a-new-phase-in-the-pandemic>
17. The Hindu— *How India's NGOs Stepped in to Help During COVID-19*
<https://www.thehindu.com/news/national/how-indias-ngos-stepped-in-to-help-during-covid-19/article34526728.ece>

Citation in APA 7th Edition: Saini, R. (2025). कोविड-19 वैश्विक महामारी, मानव और मानवाधिकार. Lyceum India Journal of Social Sciences, 2(3), 110–117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16978178>

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the publisher or editorial board. The publisher assumes no responsibility for any consequences arising from the use of information contained herein.*

